मिसिल संख्या 9-5/2023-एफईएस.ईएस

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

अर्थ, सांख्यिकी एवम मूल्यांकन प्रभाग

(एफई संभाग)

कमरासं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 22 मार्च, 2024

श्री विनोद कुमार
142, मुनानवाली , दाबवली,
सिरसा, हरियाणा, पिन-125103
मोबाइल संख्या- 9466525802

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकरणसंख्या DOA&C/R/T/24/00172 दिनांक 29/02/2024 के सन्दर्भ में प्रेषित जानकारी।

महोदय,

कृपया दिनांक 29.02.2024 के अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त पत्र के लिये इस संभाग से सम्बंधित जानकारी जो कि कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य से सम्बंधित है इस प्रकार है:

सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य संगत कारकों पर विचार करके कपास की दो किस्मों यथा कपास 'मध्यम रेशे' तथा कपास 'लंबे रेशे' सहित, 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का निर्धारण करती है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि,जल एवं अन्य उत्पादन संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतराष्ट्रीय मूल्यों, अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव एवं एमएसपी के सम्बन्ध में उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

2018-19 के केन्द्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुणा के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, कृषि वर्ष 2018-19 से सरकार ने सभी अधिदेशित खरीफ, रबी एवं व्यवसायिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ बढ़ोतरी की है ।

कपास 'मध्यम रेशे' का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष 2022-23 के 6080 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2023-24 में 6620 रुपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार कपास 'लंबे रेशे' का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष 2022-23 के 6380 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2023-24 में 7020 रुपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है।

उत्तर के विरुद्ध यदि कोई अपील हो तो श्रीमती सी. एच. हनी, सलाहकार एवम अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 443 B, अर्थ एवम सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, दूरभाष संख्या- 011-23382236, को उत्तर की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दर्ज की जा सकती है।

भवदीया

श्वेता साहनी

(श्वेता साहनी) 22/3/2024

आर्थिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ

श्री अनुरागभटनागर ,सहायक आर्थिक सलाहकार ,कृषि भवन ,नईदिल्ली